XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

07-10-2011

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व अपील वाद संख्या–14/1997

बुद्धू हाँसदा, पिता–स्व0 रसिक लाल हाँसदा, साकिन–असकतिया, थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ..........................

आवेदक

बनाम्

1. राज्य
2. भूपेन्द्र सिंह, पिता–स्व0 त्रिवेणी सिंह, साकिन–बस्ती, थाना–सोनवर्षा, जिला–सहरसा
3. श्रीमती रीता देवी, पति–श्री अशोक कुमार सिंह
4. सुनील कुमार सिंह, पिता–बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, साकिन–असकतिया, थाना– भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ..................

विपक्षीगण

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–54/1993 में दिनांक 14.01.1997 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि ग्राम–विशनपुर चिन्तामणि (बलिया), थाना–धमदाहा, थाना नं0–312, अंचल–भवानीपुर, खाता संख्या–216, खेसरा संख्या–978, रकवा 1.76 एकड़ जमीन वर्ष 1977 में पूस महीने में विपक्षी संख्या–2 भूपेन्द्र सिंह से कुछ ग्रामीणों के समक्ष बटाई पर लिया था और फसल बाँटकर भूस्वामी के सिपाही को देता था। विपक्षी द्वारा बार–बार जमीन छोड़ने की धमकी देने के बाद आवेदक ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में बटाईदारी वाद संख्या–54/1993 दायर किया। निम्न न्यायालय में वाद को निष्पादित करने के लिये समझौता परिषद द्वारा बोर्ड का भी गठन नहीं किया गया। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि आवेदक भूमि हड़पने के उद्देश्य से यह वाद प्रारम्भ किया है, जबकि प्रश्नगत जमीन पर आवेदक कभी बटाईदार नहीं था। निम्न न्यायालय द्वारा वाद का अध्ययन किये बगैर आवेदक के वाद को खारिज कर दिया गया, जो नियम के विरूद्ध था। अतः आवेदक उक्त आदेश के पुनरीक्षण हेतु यह वाद प्रारम्भ किया है।

विपक्षी संख्या–3 एवं 4 का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह अपील वाद निर्वहन योग्य नहीं है। प्रश्नगत् जमीन का स्वामी विपक्षी संख्या–1 भूपेन्द्र सिंह था और भूपेन्द्र सिंह ने उक्त जमीन वर्ष 1964–65 में श्रीमती इन्दिरा देवी को बेचदिया और इन्दिरा देवी अपने नाम नामान्तरण करवाकर जमीन पर दखलकार हुई। पुनः इन्दिरा देवी वर्ष 1980 में उक्त जमीन विपक्षी संख्या–3 एवं 4 के पास रजिस्टर्ड केवाला द्वारा बेच दी और विपक्षी संख्या–3 एवं 4 खरीदी गई जमीन पर दखलकार हुए। आवेदक ने प्रश्नगत जमीन के संबंध में लिखा है कि वह भूपेन्द्र सिंह से वर्ष 1977 में जमीन बटाई पर लिया था। जबकि भूपेन्द्र सिंह उस जमीन को वर्ष 1964 में ही बेच चुके थे। आवेदक ने वर्ष 1993 में बटाईदारी वाद प्रारम्भ किया, जबकि वर्ष 1980 में जमीन विपक्षी संख्या–3 एवं 4 ने खरीदा है। इस प्रकार आवेदक का दावा बिल्कूल ही निराधार है। आवेदक भूमि हड़पने के उद्देश्य से वाद दायर कर विपक्षी को परेशान कर रहा है। समझौता बोर्ड द्वारा भी स्थल

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

जाँच में आवेदक के दावा को गलत माना गया। आवेदक का कभी भी प्रश्नगत जमीन पर कोई संबंध नहीं रहा है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस अपील वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 04.07.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा गठित समझौता परिषद के द्वारा समझौता हेतु कोई प्रयास ही नहीं किया गया। अंचलाधिकारी जो समझौता परिषद के अध्यक्ष थे के द्वारा एक बार भी स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। निम्न न्यायालय में मुख्य विपक्षी उपस्थित ही नहीं हुए। उसके बाबजूद भी निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है।

विपक्षी संख्या–3 एवं 4 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि अपीलकर्त्ता के आवेदन निर्वहन योग्य नहीं है। चूँकि निम्न न्यायालय का आदेश समझौता परिषद के प्रतिवेदन के आलोक में ही है। मुख्य विपक्षी निम्न न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने के बाद इस न्यायालय में विचारणीय नहीं हो सकता है। उनके द्वारा इस वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

पुनः दिनांक 07.10.2011 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गयां

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं उभय पक्ष को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा गठित समझौता परिषद के द्वारा समझौता हेतु कारगर प्रयास नहीं किया गया एवं समझौता परिषद के अध्यक्ष के द्वारा विवादित जमीन का स्थल निरीक्षण भी नहीं किया गया है। इस आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्त्ता के आवेदन पर सहमत होते हुए इस वाद पर पुनः जाँच/सुनवाई कर नियमानुसार निष्पादित करने का निदेश निम्न न्यायालय को दिया जाता है। इस निर्णय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ